

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त 2017—श्रावण 19, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्र. एफ-52-01-2016 अड़तीस-3.—यतः, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किए बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अधधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 और 67 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 10 अगस्त 2017 से लागू होंगे.

No. F-52-01-2016-XXXVIII-3.—WHEREAS, on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of Barkatullah University, Bhopal, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interests of the university and it is expedient in the interest of the University so to do;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, directs that the provisions of Sections 13, 14, 20 to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University from 10th August 2017 subject to the modifications specified in the THIRD SCHEDULE of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.